

राजस्थान-सरकार  
निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग  
'बीमा भवन' जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर-302016


क्रमांक: प.114/कम्प/मेडिकलेम/2019/2160

दिनांक 16.09.2022

परिपत्र

विषय :- राजमेडिकलेम योजना के अन्तर्गत बकाया प्रकरणों के सम्बन्ध में।

विषयान्तर्गत लेख है कि राजमेडिकलेम योजना के अन्तर्गत ऑल्ल्ड एसआईपीएफ पोर्टल पर मेडिकलेम के पुराने प्रकरण विभिन्न स्तर (Employee/DDO/LDCSI/DDSI) पर लम्बित प्रदर्शित हो रहे हैं, उन समस्त प्रकरणों के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही सात दिवस में करते हुए टीपीए स्तर पर अग्रेषित करावें। सात दिवस पश्चात दिनांक 25.09.2022 को राजमेडिकलेम के समस्त लम्बित प्रकरण स्वतः निरस्त कर दिये जावेंगे।


  
(योगमित्र दिनकर)  
अतिरिक्त निदेशक, सिस्टम्स

क्रमांक: प.114/कम्प/मेडिकलेम/2019/2160 - 2210

दिनांक 16.09.2022

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर ।
2. परियोजना निदेशक, आरजीएचएस, राज्य बीमा एवं प्राणि विभाग, वित्त भवन, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, समस्त संभाग कार्यालय।
4. सहायक/उप/संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, समस्त जिला कार्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करावें।
5. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राज्य बीमा एवं प्राणि विभाग, मुख्यालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली

  
अतिरिक्त निदेशक, सिस्टम्स